कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

सीटी ब्लोअर नीति
(सतकर्ता तंत्र नीति)

सीटी ब्लोअर नीति (सतकर्ता तंत्र नीति)

1. नीति के उद्देश्य

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (के.आर.सी.एल.) अपने व्यवसाय के संचालन के लिए पारदर्शी रूप में उच्चतम नैतिकता, नैतिक मूल्य और कानूनी मानकों के रख-रखाव के लिए प्रतिबद्ध है। इस नीति का उद्देश्य कोई भी गतिविधि जो अनैतिक या इसके विपरीत, अत्याचार, उत्पीड़न या प्रतिशोध से उन्मुक्ति के साथ कंपनी की स्थापित पद्धतियों के खिलाफ "सीटी बजाने" (एक संरक्षित प्रकटीकरण करने) के लिए अपने कर्मचारियों को एक अवसर प्रदान करना है।

2. आवेदन

यह नीति कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। इसके अलावा प्रकटीकरण करने वाले को "सीटी ब्लोअर" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

3. परिभाषाएं

अन्यथा जब तक संदर्भ की जरूरत न हो -

(i) "मंडल" अर्थात् कंपनी के निदेशक मंडल।

(ii) " शिकायत" अर्थात् इस नीति के तहत कर्मचारी द्वारा की गई शिकायत।

(iii) " कंपनी" अर्थात् कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

(iv) "अनुशासनात्मक कार्रवाई" अर्थात् कोंकण रेलवे सेवा (आचरण) नियम और अनुशासन तथा अपील नियम 2001 के तहत कोई कार्रवाई या जो कार्रवाई कर्मचारी के संबंध में उचित मानी गई है और कोंकण रेलवे के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के तहत कवर नहीं की गई है।

(v) "कर्मचारी" अर्थात् कोंकण रेलवे के कर्मचारी।

(vi) "अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक" अर्थात् कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।

टिप्पणी: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में एक अधिकारी को विधिवत रूप से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए।

(vii) "संरक्षित प्रकटीकरण" अर्थात् इस नीति के तहत शिकायत का प्रकटीकरण या मामला उठाना।

(viii) "सीटी ब्लोअर" अर्थात् जिस कर्मचारी ने इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटीकरण किया है।

4. संरक्षण

(i) सीटी ब्लोअर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, जब तक वह स्वयं इसके प्रकटीकरण का ब्यौरा नहीं देता, सार्वजनिक या किसी अन्य कार्यालय या प्रधिकारी को उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया है।

(ii) कोई अन्य कर्मचारी जो इस जांच में सहायक या साक्ष्य प्रस्तुत करता है उसको भी "सीटी ब्लोअर" नियमानुसार संरक्षित किया जाएगा।

(iii) इस नीति के तहत संरक्षित प्रकटिकरण करने वाले सीटी ब्लोअर के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा। सीटी ब्लोअर के साथ अनुचित व्यवहार जैसे प्रतिशोध लेना, सेवा समापन/निलंबन की धमकी या डराना, अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण, पदावनति, पदोन्नति से इनकार, भेदभाव, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, पक्षपातपूर्ण व्यवहार या सीटी ब्लोअर को उसके ड्यूटी/कर्तव्यों सहित आगे के संरक्षित प्रकटीकरण करने के अधिकार में बाधा डालने वाले अधिकारी को किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वालों के विरूद्ध सीटी ब्लोअर को संपूर्ण सुरक्षा दी जाएगी।

5. प्रक्रिया

(i) कोई भी कर्मचारी कंपनी के सदाचार या आचारसंहिता पर अनैतिकता, वास्तविक या संदिग्ध धोका या कंपनी के सामान्य दिशा-निर्देशों का उल्लंघन के बारे में प्रकटीकरण या शिकायत कर सकता हैं।

(ii)सीटी ब्लोअर से आरोपों की सत्याता प्रकट करने के लिए अखंडनीय प्रमाण उपलब्ध कराने की उम्मीद या अपेक्षा नहीं की जाती बल्कि उससे यह अपेक्षित होता है कि वह उसके पास उपलब्ध शिकायत या मामले के लिए उचित और पर्याप्त कारण/आधार को प्रदर्शित करने के लिए अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करें।

(iii)प्रकटीकरण ध्यान से रिकॉड किया जाना चाहिए जिससे उसका/उसकी पहचान का कोई विवरण या संकेत न दिया जाए।

(iv)प्रकटीकरण सीटी ब्लोअर नीति के तहत सीलबंद लिफाफे में और दिए गए पत्ते पर भेजा जाना चाहिए और इसको पत्र पाने वाले ने ही खोलना चाहिए।

श्री संजय गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
बेलापुर भवन, सेक्टर 11, सीबीडी
बेलापुर, नवी मुंबई,
महाराष्ट्र राज्य ।

असाधारण स्थितियों में अध्यक्ष, लेखा समिति को निम्न पते पर संरक्षित प्रकटीकरण भेजा जाना चाहिए।

श्री सन्मय बनर्जी,
स्वतंत्र निदेशक,
76 इलियास रोड,
अगरपारा,
कोलकाता - 700 058
ईमेल: sanmoy.banerjee.65@gmail.com

(v) संरक्षित प्रकटीकरण पावती एवं प्रेषण विभाग में पंजीकृत कार्यालय, बेलापुर भवन, सेक्टर-11, सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई 400 614 में प्राप्त किया जाना चाहिए। पावती एवं प्रेषण विभाग के प्रेषक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इसका अलग रजिस्टर बनाकर तुरंत संरक्षित प्रकटीकरण की प्राप्ति की उचित पावती लेकर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास जाए।

(vi) सीटी ब्लोअर ने प्रकटीकरण पर अपना नाम, पता आदि प्रकटीकरण पर ऊपर या नीचे या अलग से शीट संलग्न करना चाहिए। सार्वजनिक प्रकटीकरण के प्रत्येक पृष्ठ पर सबसे नीचे अपना हस्ताक्षर करना चाहिए।

(vii) सीटी ब्लोअर की पहचान संरक्षित करने के लिए पावती जारी नहीं की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता / सीटी ब्लोअर ने इस संबंध में कोई आगे का पत्राचार नहीं करना चाहिए। इस नीति के तहत सभी शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। यदि आगे किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर सीटी ब्लोअर से संपर्क किया जाएगा।

6. जांच

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सभी प्रकटीकरण पर विचार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कंपनी के किसी भी व्यक्ति या विशेषज्ञ या मुख्य सतर्कता अधिकारी को जांच रिपोर्ट बनाने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए नामित करेंगे कि सीटी ब्लोअर की पहचान और विषय-वस्तु का खुलासा नहीं किया जाएगा। सामान्यतया जांच की लिखित रिपोर्ट एक महीने के अंदर तैयार करनी आवश्यक है।

7. जांच के रिपोर्ट

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्रकटीकरण में की गई पूछताछ/जांच के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक और उचित कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण संबंधी

मामलों या अन्य मामलों की पुनरावृत्ती के संबंध में निवारक उपाय और अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

8. मंडल में रिपोर्टिंग -

इस नीति के तहत प्राप्त प्रकटीकरणों की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के निदेशक मंडल (के.आर.सी.एल.) को प्रस्तुत की जाएगी।

9.प्रतिबंध

(i) इस नीति के तहत बिना नाम और उपनाम के शिकायतों की जांच नहीं की जाएगी।

(ii) शिकायत ओछी, अनुमान के आधार या अफवाह नहीं होनी चाहिए।

(iii) दुर्भावनापूर्ण विचार से की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) व्यक्तिगत सेवा से संबंधित शिकायतें नहीं होनी चाहिए।

(v) कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों या हितधारकों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए।

नोट: उपरोक्त में से किसी का उल्लंघन होने पर कोंकण रेलवे सेवा (आचरण) नियम और अनुशासन तथा अपील नियम 2001 के तहत कार्रवाई की जाएगी या जो कार्रवाई कर्मचारी के लिए उचित मानी गई है और कोंकण रेलवे के सेवा (आचरण), अनुशासन और अपील नियमों के तहत शासित नहीं की गई है।

10. पहचान प्रकटीकरण होने पर शास्ति

संरक्षित प्रकटीकरण में शामिल सूचना के प्रकटीकरण के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी होने पर या सीटी ब्लोअर की पहचान कराने पर कोंकण रेलवे सेवा (आचरण) नियम और अनुशासन तथा अपील नियम 2001 के प्रवधानों के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पात्र होगा या जो कार्रवाई कर्मचारी के लिए उचित मानी गई है और कोंकण रेलवे के सेवा आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के तहत शासित नहीं की गई है।

****